न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 71/2020
3. उनवान : सरकार जरिये सुरेन्द्र सिंह राठौड, प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

1. श्री कानाराम पुत्र श्री रामकिशोर, निवासी मकान नं. डी–61, झालाना कच्ची बस्ती, जयपुर।
2. श्री नानक राम पुत्र श्री मंगलराम निवासी इन्द्रा नगर तलाई कच्ची बस्ती झालाना डूंगरी जयपुर।
3. श्री रवि कुमार बिलोनिया पुत्र श्री बाबू लाल निवासी ग्राम पोस्ट गढ तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
4. श्री राजकुमार पुत्र श्री गोविन्द नारायण निवासी गांव खरकडा तहसील जमवा रामगढ जिला जयपुर।
5. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री बक्सा राम निवासी ग्राम चावण्डिया तहसील जमवा रामगढ जिला जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 02.11.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
ब) श्री रामावतार तमोलिया अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड, जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 08.05.2014 को झालाना कच्ची बस्ती पंहुचे। अप्रार्थीगण के परिसर में कार्यवाही के दौरान अवैध रुप से रखे हुये 31 घरेलू गैस सिलेण्डर(15 आईओसी+12बीपीसी+4एचपीसी) व 38 वाणिज्यिक सिलेण्डर मय 535.300 किग्रा. गैस, 6 लोहे की बांसुरी, 38 प्लास्टिक कैप, 1 कांटा इण्डेन एवं सिलेण्डर्स के अवैध परिवहन में काम ली जा रही दो पिकअप आरजे–14–जीसी–7795 व आरजे–14–जीडी–4352 जब्त किये गये। अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू सिलेण्डर से वाणिज्यिक सिलेण्डर में गैस अन्तरण का कार्य किया जा रहा था। अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण के सन्दर्भ में कोई सन्तोषप्रद जवाब एवं वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 17.09.2014 को अधिवक्ता श्री रामावतार तमोलिया ने उपस्थिति दी। अप्रार्थीगण/अभिभाषकगण की ओर से आदिनांक तक कोई जवाब पेश नहीं किया गया। तत्पश्चात प्रकरण जवाब/बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थीगण/अभिभाषकगण अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 02.11.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 08.05.2014 को जब्त सामान से अप्रार्थीगण द्वारा वाणिज्यिक सिलेण्डर से घरेलू गैस सिलेण्डर में गैस अन्तरण किया जा रहा था। मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा बांसुरी की सहायता से गैस अन्तरण का कार्य किया जा रहा था। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों ने पूछताछ करने पर बताया कि उनके द्वारा घरेलू सिलेण्डर से वाणिज्यिक सिलेण्डरों में गैस रिफिल कर शादी विवाह में मांग के आधार पर बेचान किया जाता है। अप्रार्थीगण की ओर से जब्त वस्तुओं की वैधता के संबंध में मौके पर तथा आज तक कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। मौके से पाये गये सामान से एवं उपस्थित व्यक्तियों की गैस अंतरण की स्वीकारोक्ति से अवैध रुप से गैस अन्तरण का कार्य किया जाना सिद्ध होता है। अतः अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस(प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा जब्त सामान 31 घरेलू गैस सिलेण्डर (15 आईओसी+12बीपीसी+4एचपीसी) व 38 वाणिज्यिक सिलेण्डर मय 535.300 किग्रा. गैस, 6 लोहे की बांसुरी, 38 प्लास्टिक कैप, 1 कांटा इण्डेन एवं सिलेण्डर्स के अवैध परिवहन में काम ली जा रही दो पिकअप आरजे–14–जीसी–7795 व आरजे–14–जीडी– 4352 को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर